



पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

सेवामें,

दिनांक: 6/7/2021

श्रीमान उप वन संरक्षक,
जोधपुर

विषय:—Compliance report diversion of 4.95 ha of forest land in favour of
POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA
(PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur,
Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal
No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

संदर्भ:—भारत सरकार के पत्र संख्या 8वीं/राज./04/10/2021/एफ.सी/27
दि.18.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8वीं/राज./
04/10/2021/एफ.सी/27 दि.18.06.2021 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति
जरिये जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं
अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न: अनुपालना रिपोर्ट

भवदीय


Authorized Signatory

स.न.मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर

Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
 जोधपुर

दिनांक: 06/07/2021

विषय:- Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

संदर्भ:-भारत सरकार के पत्र संख्या 8वीं/राज./04/10/2021/एफ.सी/27 दि.18.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलोच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

शर्त सं.	अधिरूपित शर्त	अनुपालना
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 15.00ha. degraded forest land (Compartment No. Osian-4, Village-Osian, Range Osian, District- Jodhpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला जोधपुर के 15.00 है० परिभाषित वनभूमि (कम्पार्टमेंट नं. ओसियां-4, ग्राम ओसियां रेंज- ओसियां जिला जोधपुर) में कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा जारी डिमांड पत्र के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि रुपये 92,94,245.00/-रु. जरीये ई-चालान नं. (UTR No.) SBIN421183305415 (CA Cost = 42,20,000/-) के माध्यम से जमा करा दी गई है। CA Land के स्थायी पिल्लरों के निर्माण वन विभाग की निगरानी में यूजर ऐजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा। उक्त बिन्दु की पालना में यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.95ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा जारी डिमांड पत्र के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि रुपये 92,94,245.00/-रु. जरीये ई-चालान नं. (UTR No.: SBIN421183305415 (NPV Cost= 21,68,100/-) के माध्यम से जमा करा दी गई है।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee,	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।

Handwritten Signature

प्रबंधक (सिस्टम) / Manager (ITC)
 पावरग्रिड, भदला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेंद्र निर्माण मड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
 Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
 केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
 Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719
 पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
 Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121



पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

	shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
7.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल संलग्न है।
8.	The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department.	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। (UTR No.: SBIN421183305415 (Medicinal Plant Cost= 29,06,145/-) के माध्यम से जमा करा दी गई है।
9.	a) The use agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits. b) Line markers of contrast should be placed at a distance of 5 to 10 meters. c) The bird deflectors should cover 100% of the span of the transmission line near Conservation Reserve. d) During construction phase fencing and use of nets should be done for protection of Wildlife.	a). यूजर एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर पक्षी डिफ्लेक्टर प्रदान करेगी, पक्षियों को लाइट हिट से बचने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपरी कंडक्टर पर लगा दिया जायेगा। b). यूजर एजेंसी द्वारा कंट्रास्ट के लाइन मार्कर 5 से 10 मीटर की दूरी पर ही लगाये जायेंगे। c). यूजर एजेंसी द्वारा बर्ड डिफ्लेक्टर को कंजर्वेशन रिजर्व के पास ट्रांसमिशन लाइन के 100% स्पैन को कवर करते हुए लगाये जायेंगे। d). यूजर एजेंसी द्वारा निर्माण चरण के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बाड़ और जाल का उपयोग किया जायेगा। यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
10.	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter No. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014.& 19.11.2014.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
11.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
12.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
13.	No labour camp shall be established on the forest land.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
14.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।

Satyam

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण मड़ला-11, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadia-II, 115, Nandpur Colony, Nagaur Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121



पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

15.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
16.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
17.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
18.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	वनभूमि उक्त प्रस्ताव के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए काम में नहीं ली जावेगी। यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है।
19.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है।
23.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रस्ताव की अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी गयी है।

भवदीय

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

स.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121



पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Condition No. 01

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED द्वारा 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) के दौरान शर्त संख्या 01 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

इ.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 785/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केंद्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 02

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा **400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km)** के दौरान शर्त संख्या 02 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्रफल 15.00 है0 परिभाषित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. ओसियां-4, ग्राम ओसियां रेंज- ओसियां जिला जोधपुर में कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **06/07/2021**

Name:

Office Seal & Signature:

Designation: **S.N.Meena**
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 03

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 03 की पालना में CA Land के Survey, Demarcation एवं स्थायी पिल्लरों के निर्माण Sparator Island इत्यादि का निर्माण वन विभाग की निगरानी में यूजर ऐजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का 10 वर्षों तक मैटेनेन्स किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **06/07/2021**

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation: **S.N. Meena / S.N. Meena**
प्रबंधक (डीएलसी) / Manager (TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 04

Full title of the Project: **Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020**

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** have applied for diversion of 4.95 hectare of forest area for the purpose of **400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km)**. I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation: **प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC),
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II**

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 05

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 05 की पालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. का धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाएगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **06/07/2021**

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation: **प्रबंधक (टिफ़लसी) / Manager (TLC),
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II**

कार्यालय : 765 / 400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 06

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 06 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों की कटाई वन विभाग गहरी निगरानी में ही काटे जायेंगे एवं पेड़ों की कटाई की लागत यूजर एजेन्सी द्वारा राज्य के वन विभाग में जमा करा दी जायेगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

Condition No. 9

Full title of the Project: **Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020**

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 09 की पालना निम्नानुसार की जायेगी :-

- यूजर एजेन्सी द्वारा अपनी लागत पर पक्षी डिफ्लेक्टर प्रदान करेगी, पक्षियों को लाइट हिट से बचने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपरी कंडक्टर पर लगा दिया जायेगा।
- यूजर एजेन्सी द्वारा कंट्रास्ट के लाइन मार्कर 5 से 10 मीटर की दूरी पर ही लगाये जायेंगे।
- यूजर एजेन्सी द्वारा बर्ड डिफ्लेक्टर को कंजर्वेशन रिजर्व के पास ट्रांसमिशन लाइन के 100% स्पैन को कवर करते हुए लगाये जायेंगे।
- यूजर एजेन्सी द्वारा निर्माण चरण के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बाड़ और जाल का उपयोग किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **06/07/2021**

Name: **Satyam**

Office Seal & Signature: **S.N.Meena**

Designation: **प्रबंधक (टीएलसी) / Manager (TLC), पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II**

Condition No. 10

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 10 की पालना में यूजर एजेन्सी मंत्रालय के पत्रांक 7-25/2012-FC दिनांक 05/05/2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार ही ट्रांसमिशन लाईन बिछाई जायेगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: ...06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

इ.ए.ए. मीना / S.N. Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 11

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 11 की पालना में यूजर एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

S.N.Meena
S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager (TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर

Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur

केन्द्रीय कार्यालय : "सादामिनी", प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 12

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 12 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के ले-आउट प्लान में कोई बदलाव नहीं जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name: *S.N. Meena*

Office Seal & Signature:

Designation:

एस.एन. मीना / S.N. Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager (TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 13

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 13 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा वन विभाग की भूमि पर मजदूर/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का केम्प नहीं लगाया जावेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

स.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

Condition No. 14

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 14 की पालना में यूजर एजेन्सी कार्यरत मजदूर/स्टाफ को ईंधन हेतु लकड़ी राज्य वन विभाग से वन विकास निगम से या अन्य किसी लीगल तरीक से वैकल्पिक ईंधन खरीद कर ही निश्चित मात्रा में उपलब्ध करवायेगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **06/07/2021**

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation:

प्रबंधक (टीएलसी) / Manager (TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण मड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड़ फलोदी - 342301, जिला - जं.धपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 15

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 15 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सम्भागीय वन अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार ही प्रोजेक्ट की लागत पर प्रत्यावर्तित वन भूमि का जमीन पर डिमार्केशन किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: ...06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L4010:DL1989GOI038121

Condition No. 16

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 16 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation:

इ.स.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 17

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 17 की पालना में यूजर एजेन्सी इस हेतु सहमति प्रदान करती है कि इस अनुमोदन के तहत डायवर्सन की अवधि यूजर एजेन्सी या परियोजना की अवधि के पक्ष में, जो भी कम हो, पट्टे की अवधि के साथ कोटरमिनस होगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: ...06/07/2021

Name: 
Office Seal & Signature:
Designation:

एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC);
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.:0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

Condition No. 18

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 18 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 05/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

Condition No. 19

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 19 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

Condition No. 20

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 20 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा और MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार कार्रवाई की करने की सहमति प्रदान करती है।

Place: **Jodhpur**

Date: **06/07/2021**

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

Condition No. 21

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: FP/RJ/TRANS/44930/2020

Date of Proposal: 14.03.2020

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 21 की पालना में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसी भी अन्य स्थिति में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में समय-समय पर निर्देशित कर सकता है। इस हेतु यूजर एजेन्सी सहमति प्रदान करती है।

Place: Jodhpur

Date: ...06/07/2021

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation:

स.न.मीना / S.N. Meena
अधीक्षक (निर्माण) / Manager (TLC)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भड़ला-II



**पावरग्रिड
POWERGRID**

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Condition No. 23

Full title of the Project: Diversion of 4.95 ha of forest land in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED for 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km) Proposal No. FP/RJ/TRANS/44930/2020

File No: **FP/RJ/TRANS/44930/2020**

Date of Proposal: **14.03.2020**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 23 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा सभी शर्तों की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट को ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर दिया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date:06/07/2021

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

S.N.Meena
प्रबंधक (टिक्केरी) / Manager (TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

कार्यालय : 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण भड़ला-II, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलोदी - 342301, जिला - जोधपुर
Office - 765/400 K V Sub - Station (Const.) Bhadla-II, 115, Nandpuri Colony, Nagour Road, Phalodi - 342301, District - Jodhpur
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2 सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) दूरभाष 0124-2571700-719
Corporate Office : "Saudamini", Plot No.- 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016, दूरभाष : 011-26560112, 26560121, 26564812 सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
Regd. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 26560121, 26564812 CIN : L40101DL1989GOI038121

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR**

No. Revenue/Forest/Diversion/21/3028

Dated..10/06/2021

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONVERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission **evidences** for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.95 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Power Grid Corporation Of India Limited** for Construction of **400 K.V. D/C Bhadla (PG) – Bhadla-II Transmission Line overhead crossing of the Khakhuri distributary in Nure Ki Burj Village K. No. 348/1 & 369/1 (1.7649 ha.), Khakhuri Distributary in Kanasar Village K.No. 983/1, 1 (0.6351 ha.), Bap Distributary in Mandli village K.No. 26/1 (0.4822 ha.), Rajiv Gandhi Lift Canal K.No. 18/1, 19/1 (1.5552 ha.), Neta Minor Canal K.No. 801/1 (0.233 ha.) and Badi Sid Minor Canal in Badi Sid Village K.No. 63 (0.2796 ha.) of Bap Tehsil by 400 KV D/C Bhadla (PG) – Bhadla-II Transmission Line Under Tehsil Bap District Jodhpur. State Rajasthan falls within jurisdiction of Jodhpur.**

It is further certified that:

1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.95 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s)(N/A), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure B to Annexure C.
2. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it. (N/A)
3. The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

(Inderjeet Singh)
District Collector,

Jodhpur

Date..10/06/2021

No. Revenue/Forest/Diversion/21/3029

Copy Forwarded to:

1. DCF, Teritorial, Jodhpur



राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, जोधपुर
www.jodhpur.rajasthan.gov.in

क्रमांक: - राजस्व/FRA/2021/3027

दिनांक: 10/06/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

पॉवरग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा तहसील बाप के ग्राम नूरे की भूज के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नंबर 348/1 व 369/1 में से (1.7649 हेक्टेयर) व ग्राम कानासर के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी गै. मु. नहर के खसरा नंबर 983/1,1 में से (0.6351 हेक्टेयर), ग्राम मांडली के बाप डिस्ट्रीब्यूटरी गैर मुमकिन नहर के खसरा नंबर 26/1 में से (0.4822 हेक्टेयर), राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल के खसरा नंबर 18/1, 19/1 में से (1.5552), नेता माइनर कैनाल के खसरा नंबर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर), तथा ग्राम बड़ी सीड के बड़ी सीड माइनर कैनाल के खसरा नंबर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) कुल 4.95 हेक्टेयर वन भूमि पर 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में गलियारे में आने वाले प्रस्तावित रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी काने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6) 3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.04.2021 की आहूत की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए-

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. श्री इंद्रजीत सिंह | जिला कलेक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष) |
| 2. डॉ. इंद्रजीत यादव | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर |
| 3. श्री विकास अरोड़ा | उप वन संरक्षक, जोधपुर |

उपयुक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड बाप में दिनांक 09.03.2021 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गयी। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित की जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है। उपखण्ड स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायत की अनुमोदित भूमि को पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्व सम्मती से पारित किया गया है।

उक्त 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित करने हेतु प्रभावित होने वाली 4.95 हेक्टेयर वन भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुसंधान अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकारी का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तदनुसार तहसील बाप के ग्राम नूरे की भूज के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नंबर 348/1 व 369/1 में से (1.7649 हेक्टेयर) व ग्राम कानासर के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी गै. मु. नहर के खसरा नंबर 983/1,1 में से (0.6351 हेक्टेयर), ग्राम मांडली के बाप डिस्ट्रीब्यूटरी गैर मुमकिन नहर के खसरा नंबर 26/1 में से (0.4822 हेक्टेयर), राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल के खसरा नंबर 18/1, 19/1 में से (1.5552), नेता माइनर कैनाल के खसरा नंबर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर), तथा ग्राम बड़ी सीड के बड़ी सीड माइनर कैनाल के खसरा नंबर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) कुल 4.95 हेक्टेयर वन भूमि पर पॉवरग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा 400 के. वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन की स्थापना हेतु 4.95 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की जाती है।


उप वन संरक्षक
जोधपुर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, जोधपुर


जिला कलेक्टर,
जोधपुर

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
Integrated Regional Office, Jaipur

Corporate Office, Kendra-I, Bhadla-II, Sector-44, Ahmedabad-380015, Tel: 079-23266296
E-mail: iro@epa.mca.gov.in, rodms@epa.mca.gov.in

पत्र संख्या-डी/राज/01/10/2021/एफ.सी/27

दिनांक 18.06.2021

संज्ञा में

शासन सचिव/वन
विधित सचिव/वन
राजस्थान शासन
जयपुर राजस्थान

(Online Proposal No: FP/RJ/Trans/44930/2020)

विषय Diversion of 4.95 ha. forest land in favour of Powergrid Fatehgarh Transmission Limited for construction of 400 KV D/C BHADLA (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan (Total Length 48.345 km).

सन्दर्भ शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(27)वन/2021, जयपुर, दिनांक-11.06.2021.

सन्दर्भ

उपरोक्त विषयक शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.1(27)वन/2021 दिनांक 15.03.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समस्त अधिक पत्र दिनांक-26.03.2021 द्वारा अतिरिक्त सूचनाएँ जारी गई थीं जिसकी अनुपालना शासन सचिव, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयावलि परियोजना हेतु 4.95 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 179 पोल्स के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 15.00 ha degraded forest land in Compartment No. Osian-4, Village-Osian, Range Osian, District-Jodhpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 4.95 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.


स.न. मोना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

Scanned with CamScanner

7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department.
9. (a) The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
(b) Line markers of contrast colours should be placed at a distance of 5 to 10 meters.
(c) The bird deflectors should cover 100% of the span of the Transmission line near Conservation Reserve.
(d) During construction phase fencing and use of nets should be done for protection of Wildlife.
10. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
11. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
13. No labour camp shall be established on the forest land.
14. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
15. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
16. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.
23. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय

(प्राची मंगर)

उप वन महानिरीक्षक (फिन्डीग) /
क्षेत्रीय अधिकारी, जगपुर

प्रतिलिपि : (ई-मेल द्वारा)

1. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इस्टिड्यूशनल एरिया, जगपुर, राजस्थान।

2. उप वन संरक्षक, जोगपुर वन मण्डल, जोगपुर, राजस्थान।

3. उप महा प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड, जोगपुर।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिकल्पना मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, तराई को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची मंगर)

उप वन महानिरीक्षक (फिन्डीग) /
क्षेत्रीय अधिकारी, जगपुर

S.N.Meena

एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID,Bhadla-II

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नरसरी लोकरावेल पतेन न.0291-2636/53 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com
क्रमांक: एफ (125)/FCA/उवस/2021/4900

दिनांक: 28.06.2021

निमित्त:-Manager,

Power Grid Corporation of India Limited,
765/400 KV Sub Station (Const.) Bhadla-II,
115, Nandpuri Colony, Nagaur Road,
Phalodi, Jodhpur -342301.

विषय:- Diversion of 4.95 Ha. of forest land in favour of Power Grid Fatehgarh Transmission Limited for construction of 400 KV D/C Bhadla (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line District-Jodhpur, Rajasthan. (Total Length 48.345 kms). Proposal No. FP/RJ/ TRANS /44930/2020

संदर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8 बी/राज./04/10/2021/एफ.सी/27 दिनांक 18.06.2021 एवं आपका पत्र क्रमांक पावरग्रिड/400 क.वी./भदला-2 भदला पी.जी./ लाइन/ 921 दिनांक 22.06.2021 के क्रम में

महोदय,

उपयुक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8 बी/राज./04/10/2021/एफ.सी/27 दिनांक 18.06.2021 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 4.95 Ha. of forest land in favour of Power Grid Fatehgarh Transmission Limited for construction of 400 KV D/C Bhadla (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line District-Jodhpur, Rajasthan. (Total Length 48.345 kms). Proposal No. FP/RJ/ TRANS /44930/2020 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तों की भी पालना (वचन बद्धता) रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:-

बिन्दु संख्या 3:-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के प्रस्ताव अनुसार 15 हैक्टर पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रुपये 42,20,000/- (अक्षरे बैयालिस लाख बीस हजार रुपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिन्दु की दर में बढ़ोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

बिन्दु संख्या 4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N Godavarman Thirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 4,38000 = 4.95X438000 रुपये = 21,68,100/- (अक्षरे ईक्कीस लाख अड़सठ हजार एक सौ रुपये मात्र) रुपये ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिन्दु की दर में बढ़ोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

बिन्दु संख्या 8-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 12 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 4.95X5,87,100 रुपये = 29,06,145/- (अक्षरे उनतीस लाख छः हजार एक सौ पैतालिस रुपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।


प्रमुख, भोला / S.N. Meena
प्रबंधक (विपरीत) / Manager (TLC)
पावरग्रिड, भदला-II / POWERGRID, Bhadla-II

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1, 2, 5 से 7 एवं 9 से 23 की बिन्दुवार पालना (ववन बढ़ता) सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार मिलावना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कंपा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाईन जमा करवाकर चालान की प्रति पर यू.टी.आर. अंकित कर उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

भवदीय



(राज विहारी मिश्र)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

20

उप वन संरक्षक

जोधपुर


एस.एन. मीना / S.N. Meena
प्रबंधक (टिक्लेट) / Manager (TLC)
प्लगग्रिड, ब्लॉक-II / POWERGRID, Block-II

कागोलय अधीक्षण अभियन्ता फलोदी निर्माण एवं रख रखाव वृत्त इगानप फलोदी

क्रमांक - 312/प्रीसी/र/3630
प्रति

दिनांक :- 23/12/2020

अधीक्षाधी अभियन्ता
24 वॉ खण्ड इगानप
फलोदी

विषय:- PGCIL 400 KM BHADLA (PG) -BHADLA -2 प्रसारण लाईन व तंत्र के निर्माण के लिए नहरों की क्रॉसिंग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 8327 दिनांक 09.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सम्बन्धित पत्र के द्वारा नहर क्रॉसिंग की स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त सद्वर्तित पत्रांक के तहत प्रसारण लाईन एवं तंत्र निर्माण के लिये नहर क्रॉसिंग की अनुमति आप द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों पर आपको प्रदान की जाती है।

1. प्रसारण लाईन लगाने के दौरान नहर, पट्टों, साईड स्लोप एवं निरीक्षण बैक पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न होना चाहिए।
2. नहर पट्टों, साईड स्लोप को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावे।
3. प्रसारण लाईन व तंत्र लगाने के दौरान नहर के प्रवाह में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।
4. नहर की डिसिल्टिंग का कार्य Long boom Machines से करने पर (जिसकी बूम लम्बाई करीब 60 फीट) किसी तरह की Operational अड़चन प्रसारण लाईन के कारण नहीं होनी चाहिए।
5. नहर क्रॉसिंग हेतु फर्म/कम्पनी द्वारा करवाया जाने वाला कार्य अधीक्षाधी अभियन्ता 24 वॉ खण्ड इगानप फलोदी की देखरेख में करवाया जावे।
6. प्रसारण लाईन हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर फर्म/कम्पनी द्वारा सक्षम स्तर से अलग से सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
7. प्रसारण लाईन लगाने के दौरान नहर तंत्र को किसी भी तरह की क्षति होने पर सम्बन्धित फर्म की जिम्मेदारी रहेगी।
8. सम्बन्धित नहर की सीमा क्षेत्र में यदि उक्त प्रसारण लाईन के लगाये जाने से, इरेक्शन के दौरान अथवा भविष्य में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना उत्पन्न होती है तो इसके लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा सम्बन्धित फर्म/कम्पनी ऐसे समस्त उत्तरदायित्वों/दावों की जवाबदेही हेतु बाध्य होगी।
9. यदि नियमावली/गाईडलाइन्स में ऐसा कोई प्रावधान हो तो नहर के मापदण्डों के अनुरूप आपके स्तर से उचित राशि तय कर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी से बतौर अमानत राशि खण्ड कार्यालय में प्राप्त की जावे। अमानत राशि नहर के मापदण्डों के अनुरूप आपके द्वारा निर्धारित की जावे।
10. प्रसारण लाईन लगाने के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की गाईड लाईन/ नियमावली की पालना सुनिश्चित की जावे।
11. लिफ्ट नहर पर निर्मित विभिन्न स्टेशन/रिहायशी आवासों से इरेक्शन होने वाली प्रसारण लाईन के एलाईमेंट की समुचित दूरी पर होनी सुनिश्चित किया जावे।
12. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग का समुचित अध्ययन आपके द्वारा कर नहर सुरक्षा एवं रख रखाव बाबत आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त मौका स्थितिनुसार अन्य कोई शर्त आपको उचित लगे तो उसका समावेश करते हुए आपके स्तर से फर्म/कम्पनी को अनापत्ति पत्र जारी करे।

क्रमांक 2857
5-1-24
219

क्रमांक

प्रतिलिपि श्रीमान अति मुख्य अभियन्ता इगानप बीकानेर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

30/12

(मिनी)
अधीक्षण अभियन्ता
फलोदी निर्माण एवं रख रखाव वृत्त
इगानप फलोदी

दिनांक

अधीक्षण अभियन्ता
फलोदी निर्माण एवं रख रखाव वृत्त
इगानप फलोदी

Satyam
एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टिफलसी) / Manager(TLC);
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II

Addl. Chief Engineer(RGLCP)
PHED, Jodhpur.

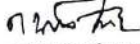
Sub:- Permission to water grid Corporation for overhead crossing of Rajeev Gandhi Lift Canal by 400 KV Bhadla(PG) – Bhadla 2 line over RGLC RD 32-33km(Mandli) (Tower No.24/0 & 25/0).

Ref:- EE, PHED, RGLC Dn.II, Jodhpur's letter No.720-23 dated 14.10.2020.

Sty, EE, PHED, RGLC Dn.II, Jodhpur has submitted a case for permission to water grid Corporation for overhead crossing of Rajeev Gandhi Lift Canal by 400 KV Bhadla(PG) – Bhadla 2 line over RGLC RD 32-33km(Mandli) (Tower No.24/0 & 25/0).

Same is being forwarded for necessary approval from competent authority.

Encl:- As above. (03)

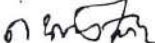

(Nakshatra Singh Charan)
Superintending Engineer,
P.H.E.D. Project Circle
Jodhpur.

Date:- 16/10/2020

No. SE/PROJ/CR/JU/20-21/ 2171-2174

Copy to following for information and necessary action:-

1. CE(P), PHED, Jodhpur.
2. DGM, Power Grid Corporation of India, Bhadla.
3. EE, PHED, RGLC Dn.II, Jodhpur.


(Nakshatra Singh Charan)
Superintending Engineer,
P.H.E.D. Project Circle
Jodhpur.


एस.एन. मीना / S.N.Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager(TLC)
पावरग्रिड, भदला-II/POWERGRID,Bhadla-II

OFFICE OF CHIEF ENGINEER PROJECT,
PUBLIC HEALTH & ENGINEERING DEPARTMENT, JODHPUR
NG/CEP/PHED/AE/ 2020-21/11460-11462 Date 22-1-2021



**Additional Chief Engineer RGLC
PHED Jodhpur**

Sub: Permission to Power Grid Corporation of India Limited for overhead crossing of Rajiv Gandhi Lift Canal by 400 KV Bhadla (PG) - Bhadla 2 line over RGLC RD 32-33 Km (Mandli) (Tower No. 240 & 25/0)
Ref: Your letter no 170-1709 dated 15.01.2020

As recommended by you and based upon approval granted at the level of Principal Secretary PHED vide his ID No. 1774/ 18.2020 in similar case of Power Grid Corporation (a Govt. Enterprises) for the overhead crossing of Rajiv Gandhi Lift Canal between RD 60 and 61; the permission is granted subject to taking affidavit from the applicant and following conditions:

1. applicant shall maintain minimum clearance of 23.491/16.147m (as recommended by you in your letter) for the lowest conductor under the maximum sag condition of 85 °C. above the canal bank & shall follow all safety precautions as per relevant code;
2. applicant shall be solely responsible for stability and safety of transmission line;
3. In future, if any tower is required to be shifted due to widening/modification of RGLC, then applicant shall be liable to shift the poles & all the cost for shifting of towers shall be borne by them;
4. tower of transmission line shall be erected outside RGLC Canal land strip;
5. no component of RGLC Phase II should be affected due to this permission.

(Neeraj Mathur)
Chief Engineer Project
PHED, Jodhpur

To: CE/PHED/AE/Power Grid / 2020-21/11460-11462 Date 22-1-2021

Copy to following for perusal with RW/BSMB.

1. Superintending Engineer PHED Project Circle Jodhpur
2. Executive Engineer PHED RGLC Div II Jodhpur

(Neeraj Mathur)
Chief Engineer Project
PHED, Jodhpur

(S.N. Meena)
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager (TLC)
PHED II/POWERGRID, Bhadla-II

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-06-2021

Agency Name.	POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
Application No.	6444930833
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/04/10/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	115 Nandpuri Colony, Nagaur Road Jodhpur
Amount(in Rs)	9294245/-

Amount in Words :Ninety-Two Lakh Ninety-Four Thousand Two Hundred and Forty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856444930833 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-06-2021

Agency Name.	POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
Application No.	6444930833
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/04/10/2021
Location.	RAJASTHAN
Address:	115 Nandpuri Colony, Nagaur Road Jodhpur
Amount(in Rs)	9294245/-

Amount in Words :Ninety-Two Lakh Ninety-Four Thousand Two Hundred and Forty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856444930833 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

S.N. Meena
S.N. Meena / S.N. Meena
प्रबंधक (टीएलसी) / Manager (TLC)
पावरग्रिड, भड़ला-II/POWERGRID, Bhadla-II



राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, जोधपुर
www.jodhpur.rajasthan.gov.in

क्रमांक: - राजस्व/FRA/2021/3027

दिनांक: 10/06/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

पॉवरग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा तहसील बाप के ग्राम नूरे की भूज के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नंबर 348/1 व 369/1 में से (1.7649 हेक्टेयर) व ग्राम कानासर के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी गै. मु. नहर के खसरा नंबर 983/1, 1 में से (0.6351 हेक्टेयर), ग्राम मांडली के बाप डिस्ट्रीब्यूटरी गैर मुमकिन नहर के खसरा नंबर 26/1 में से (0.4822 हेक्टेयर), राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल के खसरा नंबर 18/1, 19/1 में से (1.5552), नेता माइनर कैनाल के खसरा नंबर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर), तथा ग्राम बड़ी सीड के बड़ी सीड माइनर कैनाल के खसरा नंबर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) कुल 4.95 हेक्टेयर वन भूमि पर 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में गलियारे में आने वाले प्रस्तावित रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी काने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6) 3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.04.2021 की आहूत की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी /सदस्य उपस्थित हुए-

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. श्री इंद्रजीत सिंह | जिला कलेक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष) |
| 2. डॉ. इंद्रजीत यादव | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर |
| 3. श्री विकास अरोड़ा | उप वन संरक्षक, जोधपुर |

उपयुक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड बाप में दिनांक 09.03.2021 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गयी। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित की जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है। उपखण्ड स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायत की अनुमोदित भूमि को पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्व सम्मती से पारित किया गया है।

उक्त 400 के.वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन स्थापित करने हेतु प्रभावित होने वाली 4.95 हेक्टेयर वन भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुसंधान अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकारी का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तदनुसार तहसील बाप के ग्राम नूरे की भूज के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नंबर 348/1 व 369/1 में से (1.7649 हेक्टेयर) व ग्राम कानासर के खाखुरी डिस्ट्रीब्यूटरी गै. मु. नहर के खसरा नंबर 983/1, 1 में से (0.6351 हेक्टेयर), ग्राम मांडली के बाप डिस्ट्रीब्यूटरी गैर मुमकिन नहर के खसरा नंबर 26/1 में से (0.4822 हेक्टेयर), राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल के खसरा नंबर 18/1, 19/1 में से (1.5552), नेता माइनर कैनाल के खसरा नंबर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर), तथा ग्राम बड़ी सीड के बड़ी सीड माइनर कैनाल के खसरा नंबर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) कुल 4.95 हेक्टेयर वन भूमि पर पॉवरग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा 400 के. वी. डी/सी भड़ला 1- भड़ला 2 पारे. लाइन की स्थापना हेतु 4.95 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की जाती है।

उप वन संरक्षक
जोधपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जोधपुर

जिला कलेक्टर,
जोधपुर



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

कार्यालय का पता-उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप

ईमेल-udmhop-jod-rj@nic.in

संपर्क सूत्र-02921-277050

क्रमांक: /विधि/ 2021/ 5015

दिनांक:- 15/03/2021

प्रेषित:-

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
जोधपुर

विषय:- Issue of STOTFD certificate in lieu Division of 4.95 ha. Forest land for "Construction of 400 KV DC Bhadla II to Bhadla (PG) transmission line (Twin HTLS) associated with transmission scheme for solar energy zones in Rajasthan, District -jodhpur."

प्रसंग:- श्रीमान का पत्रांक राजस्व/FRA/ 20/4965 दिनांक 25.11.2020 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भड़ला-ii, 400 के.वी. डी/सी. भड़ला-ii से भड़ला (पीजी) ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए ग्राम नूरे की भुर्ज खाखूरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नम्बर 348/1 व 369/1 में से (1.7649 हेक्टेयर) व ग्राम कानासर के खाखूरी डिस्ट्रीब्यूटरी गै.मु.नहर के खसरा नम्बर 983/1,1 में से (0.6351 हेक्टेयर), ग्राम मांडली के बाप डिस्ट्रीब्यूटरी गै.मु.नहर के खसरा नम्बर 26/1 में से (0.4822 हेक्टेयर), राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के खसरा नम्बर 18/1,19/1 में से (1.5552 हेक्टेयर), नेता माइनर केनाल के खसरा नम्बर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर) तथा ग्राम बडीसिड के बडीसिड माइनर केनाल के खसरा नम्बर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) पारेषण लाइन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 09.03.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संसोधन नियम 2012 की क्रियान्वितिके संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंदर्य प्रेषित है।

संलग्न:- बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

एवं उपखण्ड अधिकारी
बाप(जोधपुर)

दिनांक:- 15/03/2021

क्रमांक: /सम/ 2021/ 5016-19

प्रतिलिपि:- वास्ते सूचनार्थ :-

1. तहसीलदार, बाप।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाप।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज, बाप।
4. उप महाप्रबंधक पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भड़ला-ii, 115, नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड़, फलोदी।
5. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

एवं उपखण्ड अधिकारी
बाप(जोधपुर)



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

कार्यालय का पता-उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप

ईमेल-sdmbap-jod-rj@nic.in

संपर्क सूत्र-02921-277050

क्रमांक./बैठक/2021/500

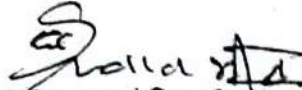
दिनांक:- 15/03/2021

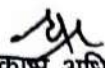
-::बैठक कार्यवाही विवरण:-

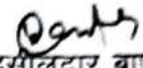
उपखण्ड स्तरीय परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक पूर्व में दिनांक 08.03.2021 को रखी गई थी, परन्तु दिनांक 08.03.2021 को राजकीय अवकाश घोषित होने से उक्त बैठक दिनांक 09.03.2021 को कार्यालय हाजा में निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी:-

1. पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भड़ला-ii, के द्वारा प्रस्ताव, जो कि 400 के.वी. डी/सी. भड़ला-ii से भड़ला(पीजी) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए ग्राम नूरे की भुर्ज खाखूरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नम्बर 348/1 व 369/1 में से (1.7649 हेक्टेयर) व ग्राम कानासर के खाखूरी डिस्ट्रीब्यूटरी (गै.मु.नहर) के खसरा नम्बर 983/1.1 में से (0.6351 हेक्टेयर), ग्राम मांडली के बाप डिस्ट्रीब्यूटरी गै.मु.नहर के खसरा नम्बर 26/1 में से (0.4822 हेक्टेयर), राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के खसरा नम्बर 18/1, 19/1 में से (1.5552 हेक्टेयर), नेता माइनर केनाल के खसरा नम्बर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर) तथा ग्राम बडीसिड के बडीसिड माइनर केनाल के खसरा नम्बर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, के एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र से संबंधित है। इनमें ग्राम नूरे की भुर्ज खाखूरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नम्बर 348/1 में से (0.5824 हेक्टेयर) व नेता माइनर केनाल के खसरा नम्बर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर) तथा ग्राम बडीसिड के बडीसिड माइनर केनाल के खसरा नम्बर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) भूमि खातेदारी परन्तु वन पट्टी लगना प्रस्तावित बताया गया है।
2. समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भड़ला-ii (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा उपरोक्त पारेषण लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह पारेषण लाइन वन मंडल जोधपुर के नूरे की भुर्ज, कानासर, बडीसिड के डिस्ट्री ब्यूट्री नहर की प्रस्तावित रक्षित वन पट्टी के उपर से उपरोक्तानुसार गुजरना प्रस्तावित है। इस हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति दी जाती है।
3. चूंकि उपखण्ड बाप, जिला जोधपुर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः ग्राम नूरे की भुर्ज खाखूरी डिस्ट्रीब्यूटरी के खसरा नम्बर 348/1 व 369/1 में से (1.

7709 हेक्टेयर) व ग्राम कानासर के खाखूरी डिस्ट्रीब्यूटरी गै.मु.नहर के खसरा नम्बर 983/1, में से (0.6351 हेक्टेयर), ग्राम मांडली के बाप डिस्ट्रीब्यूटरी गै.मु.नहर के खसरा नम्बर 26/1 में से (0.4822 हेक्टेयर), राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के खसरा नम्बर 18/1, 19/1 में से (1.5552 हेक्टेयर), नेता माइनर केनाल के खसरा नम्बर 801/1 में से (0.233 हेक्टेयर) तथा ग्राम बडीसिड के बडीसिड माइनर केनाल के खसरा नम्बर 63 में से (0.2796 हेक्टेयर) एफ.आर.ए. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।


क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप
सदस्य


विकास अधिकारी
सदस्य


तहसीलदार बाप
सदस्य

उक्त कमेटी की अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।


~~उपखण्ड अधिकारी एवं~~
~~उपखण्ड मजिस्ट्रेट~~
बाप(जोधपुर)